



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-06.05.2026

थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1200/- रुपये नगद बरामद

।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1200/- रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.रितिक पुत्र कृष्णपाल निवासी पट्टी रतराना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र 24 वर्ष
- 2.संजीव कुमार पुत्र श्री राजपाल निवासी पट्टी रतराना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र 27 वर्ष
- 3.अंकित कुमार पुत्र श्री सतपाल निवासी पट्टी रतराना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते
- 1200/- रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत
2. है०का० 706 दयाचन्द थाना दोघट जनपद बागपत
3. है०का० 289 शैलेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
4. रि०का० 181 विपिन यादव थाना दोघट जनपद बागपत
5. एचजी 419 दिनेश राठी थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 34/2026 धारा 190/191(2)/352/109(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.01.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रोहित कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1. काले पुत्र हरपी, 2. मोनू पुत्र हरपी, 3.



कुलदीप पुत्र मदन, 4.गौरव पुत्र जसवीर, 5.अंकुर पुत्र राममेहर नि0गण ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के घर के सामने आकर गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से तमंचो से फायर करना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तारी किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 34/2026 धारा 190/191(2)/352/109(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मोनू उर्फ राहुल पुत्र सतपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- का0 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- रि0का0 53 देशराज सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.05.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 930 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 930 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 154/26 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

एजाज पुत्र ताज मौहम्मद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

930 ग्राम अवैध गांजा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0-377/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

2. मु0अ0स0-96/20 धारा 188/263/270 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

3. मु0अ0स0 51/21 धारा 60 आ0अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

4. मु0अ0स0 338/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

5. मु0अ0स0 339/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

6. मु0अ0स0 154/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

2. है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

3. का0 207 रिकू सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत



**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर**

दिनांक 06.05.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0

153/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर जापश्चक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जिशान पुत्र राशिद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री उ0नि0 रजत कुमार थाना सि0अहीर जनपद बागपत
- 2-है0का0 743 अमित कुमार थाना सि0अहीर जनपद बागपत
- 3-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सि0अहीर जनपद बागपत

